न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2019 / 00273 / 223

1. राजेन्द्र दुआ पुत्र रामचन्द दुआ,
2. श्रीमती सीमा दुआ पत्नि राजेन्द्र दुआ,
   जाति पंजाबी, निवासी नगरा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।
2. नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जरिये सचिव अशोक मटाई पुत्र आवतसिंह, निवासी लक्ष्मी बेकरी, मदार गेट, अजमेर ।
3. विक्रम सिंह पुत्र फूलचंद, जाति रावत, निवासी ग्राम खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर जरिये आम मुख्तयार मुन्नी बानो पुत्री शकूर खां, जाति मुसलमान, निवासी खानपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 5.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 98 / 2006.

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र मीणा एवं मोहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 के प्रतिनिधि अनुपस्थित ।
4. श्री राघवेन्द्रसिंह, रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 18.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी / रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ग्राम बडगांव तहसील व जिला अजमेर में खसरा नंबर पुराना 116 नया खसरा नंबर 130 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर पुराना 126 नया खसरा नंबर 159 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर पुराना 127 नया 161 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमियां स्थित है । उक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चौसाला में छीतर पुत्र अल्लानूर व शकूर पुत्र जमाल खां के नाम अंकित है तथा उक्त भूमि खसरा नंबर पुराना 116, 126 व 127 जिनके नये खसरा नंबर 130, 159 व 161 बने है, के छीतर वल्द अल्लानूर व शकूल पुत्र जमाल खां संयुक्त खातेदार है । छीतर वल्द अल्लानूर ने अपने कब्जे व काश्त की भूमि जिसका खसरा नंबर 116 व 126 नया खसरा नंबर 130 व 159 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा द्वारा दिनांक 24.4.1967 को छोटू पुत्र हिमता जाति रावत, निवासी बड़गांव को बेचान कर ओर रेस्पो0 संख्या 1 ने उक्त भूमि जिसका खसरा

नंबर पुराना 125 नया 159 के नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 23.11.1978 के अनुसार छीतर वल्द अल्लानूर के स्थान पर छोटू पुत्र हिमता के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन स्वीकार किया गया । खसरा नंबर पुराने 126 जिसके नया खसरा नंबर 159 को प्रतिवादी संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 36 दिनांक 6.3.1998 के अनुसार छोटू वल्द हिमता के बजाय प्रतिवादी/रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन है व खसरा नंबर पुराना 127 जिसके नये नंबर 161 का नामांतकरण संख्या 36 दिनांक 6.3. 1998 के अनुसार छोटू पुत्र हिमता के स्थान पर प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया जबकि पुराना खसरा नंबर 127 जिनके नये खसरा नंबर 161 पर छीतर वल्द अल्लानूर व शकूल पुत्र जमाल खां संयुक्त खातेदार है । शकूर वल्द जमाल खां के कब्जे काश्त की भूमि जिस पर छोटू वल्द हिमता का कोई अधिकार ही नहीं था एव ंना ही उसने कोई उक्त हिस्से का बेचान किया था लेकिन नामांतकरण संख्या 36 दिनांक 6.3.1998 को अविधिक व गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया जिससे रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित है और शकूर पुत्र जमाल की मृत्यु दिनांक 17.12.1998 को हो गई । शकूर पुत्र जमाल की मृत्यु के बाद खसरा नंबर पुराना 127 व नया खसरा नंबर 161 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा की एकमात्र वारिस श्रीमती मुन्नी बानो पुत्री शकूल खां के कब्जे काश्त में चली आ रही है और उनके द्वारा उक्त आराजी का जरिये इकरारनामा व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपीलांट के नाम बेचान कर दिया गया तब से वादी के स्थान पर अपीलांट को उक्त वाद में पक्षकार बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.9.2012 के द्वारा उक्त वाद में वादी के स्थान पर वादी संयोजित करने हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । इसके बाद उक्त पत्रावली पीठासीन अधिकारी के नहीं होने से तारीख दर तारीख पेशियों में चल रही थी और उक्त पत्रावली को अपीलांट को बिना नोटिस दिये दिनांक 5.6.2015 को राजस्व कैम्प में रखकर वादी विक्रमसिंह द्वारा वाद को नहीं चलाने का कहकर वाद को वाद को खारिज करवाया जबकि विक्रय सिंह द्वारा पूर्व में ही अपीलांट के पक्ष में जरिये विक्रय पत्र दिनांक 4.11.2016 को नोटेरी पब्लिक मोती मणी के समक्ष उपस्थित होकर निष्पादित किया था एवं एक समर्पण पत्र दिनांक 3.2.2009 को नोटेरी पब्लिक मोतीमणी के समक्ष उपस्थित होकर संपूर्ण राशि प्राप्त करने का दिया था । इसके बावजूद उक्त वाद में उक्त विक्रमसिंह कभी भी उपस्थित नहीं हुआ और मुन्नी बानो के स्थान पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर अपीलांट ही उक्त वाद में पैरवी कर रहे थे क्योंकि उक्त संपूर्ण आराजी का कब्जा मूल खातेदार मुन्नी बानो पुत्री शकूर खां द्वारा पूर्व में ही संभला दिया गया था लेकिन उक्त विक्रमसिंह के पक्ष में मुख्तयारआम होने की वजह से विक्रम सिंह से भी अपीलांट ने संपूर्ण आराजी बाबत् लिखवा कर लिया था लेकिन विक्रम सिंह ने बिना अपीलांट की जानकारी में लाये ही उक्त वाद को कैम्प में आकर विड्रो करने हेतु आदेशिका में हस्ताक्षर करके दिनांक 5.6.2015 को वाद खारिज करवा लिया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 5.6.2015 द्वारा वाद को विड्रो के आधार पर खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने लिखित बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी को अपीलांट द्वारा मूल खातेदार से

पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया है । उक्त विवादित आराजी के संबंध में एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विक्रमसिंह बनाम सरकार दायर किया गया । इस वाद में पक्षकार बनने के लिए एक प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत पेश किया गया था जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 20.9.2012 को अपीलांट को वाद में पक्षकार संयोजित करने के आदेश प्रदान किये गये है । विवादित आराजी ग्राम बड़गांव तहसील व जिला अजमेर में स्थित खसरा नंबर पुराना 116, 126 व 127 है, जिनके नये खसरा नंबर क्रमशः 130, 159 व 161 बने है जो छीतर वल्द अल्लानूर व शकूर पुत्र जमालखां की संयुक्त खातेदारी में है । छीतर वल्द अल्लानूर ने अपने कब्जे काश्त की जिसका नया खसरा नंबर 130 पुराना 116 रकबा 2 बीघा व नया खसरा नंबर 159 पुराना खसरा नंबर 126 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनाक 24.4.1967 को छोटू पुत्र हिमता जाति रावत, निवासी बड़गांव अजमेर को विक्रय कर दिया, जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद जरिये नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 23.11.1978 द्वारा केता छोटू पुत्र हिमता के नाम स्वीकार किया गया था । छोटू पुत्र हिमता ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर नामांतकरण रजिस्टर में खसरा नंबर 161 पुराना नया 127 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 159 पुराना 126 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का गलत अंकन अपने नाम करवा लिया । इस अंकन में जिस नामांतकरण संख्या 145 दिनांक 23.11.1978 का हवाला दिया गया है वह तो खसरा नंबर 130 पुराना 116 रकबा 2 बीघा व खसरा नंबर 159 पुराना 126 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का है । वास्तव में नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 23.11.1978 में खसरा नंबर 161 पुराना खसरा नंबर 127 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा का छोटू पुत्र हिमता के नाम अंकन कभी दर्ज हुआ ही नहीं था क्योंकि खसरा नंबर 161 का छोटू पुत्र हिमता को कभी बेचान ही नहीं हुआ था।ं छोटू पुत्र हिमता जाति रावत, ने खसरा नंबर 130 पुराना 116 व खसरा नंबर 159 पुराना खसरा नंबर 126 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 24.4.1967 को क्रय किया, जिसका नामांतकरण संख्या 45 दिनांक 27.11.1978 को छोटू पुत्र हिमता के नाम स्वीकार किया गया । इस तरह खसरा नंबर 130 व खसरा नंबर 159 में छोटू पुत्र हिमता का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया । तत्पश्चात् छोटू पुत्र हिमता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत रूप से खसरा नंबर 161 पुराना 127 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नंबर 159 पुराना खसरा नंबर 126 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का बेचान दिनांक 6.12.1995 को नवग्रह निर्माण सहकारी समिति लि0 को कर दिया । यह बेचान विधि विरूद्ध होने के कारण शून्य प्रभावी है क्योंकि छोटू पुत्र हिमता को खसरा नंबर 161 पुराना खसरा नंबर 127 को बेचने का कोई अधिकार ही नही था क्योंकि खसरा नंबर 161 अपीलांट की क्रयशुदा कब्जे काश्त की भूमि थी जिसको बेचने का अधिकार छोटू पुत्र हिमता के पास नहीं था । छोटू पुत्र हिमता को केवल खसरा नंबर 130 पुराना खसरा नंबर 116 व खसरा नंबर 151 पुराना खसरा नंबर 126 बेचने का अधिकार था लेकिन उसके द्वारा अवैध रूप से अपीलांट को क्रयशुदा कब्जे काश्त की भूमि का विधिविरूद्ध तरीके से दिनांक 6.12. 1995 को नये खसरा नंबर 161 पुराना खसरा नंबर 127 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा को बेचान कर दिया गया । अधी0न्याया0 में प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने के पश्चात् पत्रावली तारीख दर तारीख पेशियों पर चल रही थी तत्पश्चात् उक्त पत्रावली को प्रार्थी को नोटिस दिए बिना दिनांक 5.6. 20158 को राजस्व कैम्प में रखकर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी/अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये विधिविरूद्ध जाकर वाद को खारिज कर दिया जो विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होकर

निरस्तनीय है । अपीलांट एक सद्भावी क्रेता है जिसे बिना युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत जारी अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद दिनांक 21.5.2015 को नियत था और उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.6.2015 दी गई तत्पश्चात् दिनांक 15.6.2015 को आगामी तारीश पेशी दिनांक 27.7.2015 नियत की किन्तु दिनांक 27.7.2015 को उक्त प्रकरण वाद सूची में दर्ज नहीं हुआ तब उक्त प्रकरण की जानकारी की गई तो उक्त प्रकरण की पत्रावली नहीं मिली तथा न ही आगामी पेशी की कोई जानकारी प्रार्थीगण को दी गई । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही वाद को राजस्व कैम्प में नियत कर खारिज कर दिया जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को नही थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 2.10.2015 को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर हुई जिस पर प्रार्थीगण ने जानकारी कर अविलम्ब उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि नगर सुधार न्यास की अर्जुनलाल सेठी नगर योजना के तहत अवाप्त की जा चुकी है । अपीलांट विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार नहीं है । विवादित भूमि अवाप्त होने से हस्तगत वाद के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 संख्या 3 विक्रमसिंह ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध प्रतिवादी राज0 सरकार एवं प्रतिवादी संख्या 2 नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जरिये सचिव विवादित कृषि भूमियां खसरा नंबर पराना 116 नया 130 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर पुराना 126 नया 159 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर पुराना 127 रकबा नया 161 रकबा 3 बीघा 17 ग्राम बड़गांव, तहसील व जिला अजमेर बाबत् पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त कृषि भूमियां खसरा नंबर पुराना 116, 126 व 127 जिसके नये खसरा नंबर 130, 159 व 161 बने है के खातेदार छीतर वल्द अल्लानूर व शकूर वल्द जमालखां थे । छीतर वल्द अल्लानूर ने अपने कब्जे व काश्त की भूमि खसरा नंबर 116 व 126 व खसरा नंबर 130 व 159 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.4.1967 को छोटू पुत्र हिमता जाति रावत को बेचान कर दिया । उक्त विक्रय पत्र की पालना में खसरा नंबर पुराना 126 नया 150 का नामांतरकरण संख्या 45 दिनांक 23.11.1978

को छीतर वल्द अल्लानूर के स्थान पर छोटू वल्द हिमता के नाम स्वीकृत किया जाकर जमाबंदी में इंद्राज दर्ज किया गया । इसी प्रकार खसरा नंबर पुराना 126 नया 159 का नामांतकरण संख्या 36 दिनांक 6.3.1998 छोटू वल्द हिमता के बजाय प्रतिवादी संख्या 2 नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 के नाम स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में अंकित किया गया है । खसरा नंबर पुराना 127 नया 161 का नामांतकरण संख्या 36 दिनांक 6.3.1998 के अनुसार छोटू वल्द हिमता के स्थान पर नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 के नाम स्वीकृत किया गया जबकि खसरा नंबर पुराना 127 नया 161 छीतर वल्द अल्लानूर व शकूर पुत्र जमाल खां की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । इस आराजी में छोटू वल्द हिमता का कोई अधिकार नहीं है । अतः खसरा नंबर पुराना 127 नया 161 का नामांतकरण संख्या 36 के द्वारा छोटू पुत्र हिमता के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम स्वीकृत नामांतकरण अवैध व गैर कानूनी है। वादी ने अनुतोष में निवेदन किया कि खसरा नंबर पुराना 127 नया 161 बाबत् वाद स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर वादी के नाम का अंकन किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर पुराना 127 नया 161 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूम मूल खातेदार शकूलर खां पुत्र जमाल खां की खातेदारी की थी जिनसे प्रार्थीगण/अपीलांटस ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.10.1993 को क्रय की है किन्तु वादी ने अपीलांट/क्रेता को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है । इसलिये प्रार्थीगण/अपीलांटस को वाद में पक्षकार नियुक्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/अपीलांटस को वाद में पक्षकार नियुक्त करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नंबर 116, 126, 127 के भू–संशोधन खसरा नंबर 130, 159, 161 बने है जिनके हाल खसरा नंबर 38, 13, 15 बने है जिसमें से खसरा नंबर 13 व 15 नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 के नाम तथा खसरा नंबर 38 नाथू वल्द दूला रावत, निवासी खानपुरा के नाम दर्ज है । उपरोक्त आराजियात वर्तमान में नगर सुधार न्यास, अजमेर की अर्जुनलाल सेठी नगर योजना के अंतर्गत अवाप्त की जा चुकी है । अतः वाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अधी0न्याया0 ने वाद में तनकीयात कायम कर निर्णय दिनांक 5.6.2015 द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में तहसीलदार, अजमेर के जवाब दिनांक 5.6.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात चौसाला खसरा नंबर 116, 126, 127 के भू–संशोधन खसरा नंबर 130, 159, 161 बने है जिनके हाल खसरा नंबर 38, 13, 15 बने है जिसमें से खसरा नंबर 13 व 15 नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 के नाम तथा खसरा नंबर 38 नाथू वल्द दूला रावत, निवासी खानपुरा के नाम दर्ज है । उपरोक्त आराजियात वर्तमान में नगर सुधार न्यास, अजमेर की अर्जुनलाल सेठी नगर योजना के अंतर्गत अवाप्त की जा चुकी है । विधिनुसार भूमि अवाप्त होने के उपरांत स्वामित्व सरकार में निहित हो जाते है । धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि बाबत् राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित कर वाद निरस्त किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट निरस्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.6.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर